संख्या-15/001/63डब्लू-24-27-3099-160-2024

प्रेषक,

अमित प्रणव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2024**

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-42795/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन सिविल अवमाननावाद संख्या-2200/2024 निसार अहमद बनाम श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता से संबंधित भू-प्रतिकर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-291/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/सरयू परियोजना-द्वितीय, दिनांक 04.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-प्रथम, तुलसीपुर, बलरामपुर से संबंधित सरयू परियोजना के अन्तर्गत बैकुंठपुर रजवाहा से प्रभावित कृषक के भू-प्रतिकर भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-42795/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 58,29,555.00 के भुगतान हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-42795/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 58,29,555.00 (अठ्ठावन लाख, उन्तीस हजार, पाँच सौ पचपन रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- प्रश्नगत प्रकरण में होने वाला व्यय रूपये 58,29,555.00 (अठ्ठावन लाख, उन्तीस हजार, पाँच सौ पचपन रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखाशीर्षक-4700-17-050-10-16-24 सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।

(6) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।

(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, बलरामपुर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, बलरामपुर।

(10) अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर खण्ड-प्रथम, तुलसीपुर, बलरामपुर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।